न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 140/2017 राजस्व अपील

1. कैलाश पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली तह0 सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तह0 सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 22.09.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मानसिंह प्रकरण सं. 120/2017 अर्न्तगत धारा 91 राज. एल.आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री मक्खनलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 04.04.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2074 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवाय चक गैरमुमकिन बांध पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 22.9.2017 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 140/2017 राजस्व अपील

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को कभी भी न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस नहीं दिया गया एवं निर्णय दिनांक 22.9.2017 पारित कर सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अपीलान्ट की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2074 में ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवाय चक गैरमुमकिन बांध पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 22.9.2017 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत सिवायचक भूमि पर अतिकमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मोरोली तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवाय चक गैरमुमकिन बांध पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.9.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 4.4..2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official